M: 94142-12-031
I.K.Goyal Advocate
38-Nagpal Colony
Sri Ganganagar-335001(Raj.)

राजस्थान पत्रिका -05-08-2004

चर्चित विषय

सूचना का अधिकार

गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लम्बे संघर्ष के पश्चात पिछली गहलोत सरकार ने करीब साढ़े तीन वर्ष पूर्व राज्य की जनता को सूचना का अधिकार प्रदान किया था। यह अधिकार 26 जनवरी 2001 को लागू हुआ था। उस समय सरकार ने प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और खुलेपन का दावा किया था। जनता से जुड़े इस रोजमर्रा के अधिनियम का क्रियान्वयन किस तरीके से हुआ इसकी समीक्षा के लिए साढ़े तीन वर्ष काफी होते हैं। दरअसल सूचना के अधिकार का तात्पर्य है कि जनता को यह जानने का अधिकार हो कि उनके द्वारा चुनी गई सरकार उनके लिए क्या और कैसे कर रही है? यदि सूचना के अधिकार की यही सरल व उपयुक्त परिभाषा है तो यह मानना पड़ेगा कि राजस्थान में यह अधिकार विफल रहा है।

प्रशासनिक अधिकारी जनता को इसलिए भी सूचना नहीं देना चाहते हैं क्योंकि इससे उनके अहम् को ठेस लगती है। वे यह कभी नहीं चाहते हैं कि अनपढ़ व कम पढ़ी-लिखी जनता उन जैसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों से यह पूछे कि वे क्या और क्यों कर रहे हैं? लेकिन गैर सरकारी संगठनों के भारी दबाव के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा। अंत में राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 26 जनवरी 2001 से लागू हुआ, लेकिन प्रशासन यहां भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और इस अधिनियम में कई गलतियां छोड़ दी गईं। एक तो इस अधिनियम में ऐसी तकनीकी भाषा का प्रयोग किया गया कि अनपढ़ तो क्या उच्च शिक्षित भी आसानी से नहीं समझ सकता है। दूसरे आधा-अधूरा अधिनियम पारित होने से जनता के हाथ में झुनझुना ही आया। उदाहरण के तौर पर, अधिनियम की धारा 4 के अनुसार किसी आवेदन के प्राप्त होने पर कार्यालय का सम्बन्धित अधिकारी इस पर विचार करेगा और उपलब्ध करवाने योग्य तथा जो धारा 5 के अंतर्गत नहीं आती है, वे सूचनाएं आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर उपलब्ध करवाएगा। अधिनियम की कुल 13 धाराओं में सबसे विवादास्पद धारा 4 ही है। पहले तो साफ उल्लेखित है कि सरकार वही सूचना उपलब्ध करवाएगी जो उपलब्ध करवाने योग्य है। यह इस धारा का विवादास्पद शब्द है। तात्पर्य यह कि प्रशासन ही इस बात को तय करेगा कि कौन सी सूचना उपलब्ध करवाई जाए और कौन नहीं।

दूसरी विवादास्पद बात यह है कि वे सूचनाएं ही उपलब्ध करवाई जाएगी जो धारा 5 के अंतर्गत नहीं आती हों। धारा 5 के अनुसार विदेशी सरकारों, उनके अभिकरणों या अन्तरराष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त गुप्त सूचना, ऐसी सूचना जिसका सम्बन्ध भारत की प्रभुसत्ता, अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों के संचालन इत्यादि से हो नहीं दी जाएगी। मंत्रिमंडलीय कागज-पत्रों, अन्तर- विभागीय पत्राचार, सलाह अथवा किसी व्यक्ति की निजता में दखल, रक्षा सम्बन्धी मामले और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धाराओं 123 व 124 के अंतर्गत आने वाली सूचना भी उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। अधिनियम की धारा 5 का जमकर दुरुपयोग किया जा सकता है। विदेशी सम्बन्धों के बारे में सूचना न देने के प्रावधान की आड़ में सरकार चाहे तो विभिन्न संगठनों के साथ होने वाले सम्बन्धों के बारे में जानकारी देने से इनकार कर सकती है। क्या राज्य की जनता को इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि एडीबी के साथ राजस्थान सरकार ने किन शर्तों के आधार पर ऋण लिया है? रक्षा सौदों में हुए घोटालों के बारे में क्या जनता को वास्तविक स्थिति के बारे में जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए? धारा 5 की आड़ में तो सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताकर किसी भी प्रकार की सूचना देने से इनकार कर सकती है।

धारा 4 की तीसरी विवादास्पद बात यह है कि इसमें स्पष्ट लिखा है कि आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। क्या एक भ्रष्ट कर्मचारी के लिए अपने ही विभाग की फाइलें ऊपर-नीचे करने, उसमें फेरबदल करने के लिए 30 दिन का समय पर्याप्त नहीं होता है? समयावधि के लम्बे होने के कारण ऐसे लोगों को संभलने का मौका मिल जाता है। साथ ही इस अवधि में अपने काले चिट्ठे भी मिटा देते हैं। तीस दिन के पश्चात् उपलब्ध करवाई जाने वाली इस प्रकार की सूचना का कोई महत्व नहीं रहता है।

दिनेश गहलोत